



कार्यालय—अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611



वर्षा वृष्टिकर्म  
THE EARTH - ONE FAMILY - ONE FUTURE

पत्रांक— 1476 /12-1 देहरादून: दिनांक: 27 जनवरी, 2024

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,  
भारत सरकार,  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,  
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,  
25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय:—जनपद—बागेश्वर में एस0सी0एस0पी0 योजना के अन्तर्गत बैजनाथ—बागेश्वर—बेरीनाग मोटर मार्ग के किमी0 11 (रवाईखाल) से बुढगाड—थकलाड बिलेख मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 6.953 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यार्तन।  
(ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या— FP/UK/ROAD/47031/2020)

संदर्भ:—भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (क्षे0का0), देहरादून का पत्रांक 8बी/ यू0सी0पी0 /06 /61 /2023 /एफ0सी0 /486 दिनांक 12-06-2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक क्रम में अवगतनीय है कि प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर के पत्रांक 1988/12-1-2 दिनांक 21-11-2023 के द्वारा भारत सरकार द्वारा चाही सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, जिसे निम्न प्रकार संलग्न कर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है :-

क्र0सं0	आपतियाँ	प्रतिउत्तर
1	The area in the village wise break up at para B 2.3 is shown as 5.803 ha instead of 6.953 ha which is required to be corrected.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि Village-wise break-up से सम्बन्धित सूचना आनलाईन Para B2.3 in para I में संशोधित कर अपलोड कर दी गयी है।
2	Existing road network is not shown on the Kml. State govt. is requested to upload the Kml file of the proposed after marking existing road network.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि के0एम0एल0 फाईल में existing road network दर्शाते हुये के0एम0एल0 फाईल को ऑनलाईन यथास्थान अपलोड कर दी गयी है।
3	State Govt. is also requested to provide the details regarding population of each village and its distance from the nearest road.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रत्येक ग्राम की जनसंख्या एवं निकटतम रोड़ से दूरी अंकित कर संशोधित प्रस्ताव के साथ प्रपत्र-40 में उक्त सूचना संलग्न कर प्रेषित की गयी है। (संलग्नक-1)
4	The cost benefit analysis has not been provided in online part-I at designate column in prescribed formate. The C/B analysis found submitted in the hard copy of the proposal is in old formate. The State Govt. is requested to provide the cost benefit analysis in prescribed formate.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि लागत लाभ विश्लेषण निर्धारित प्रपत्र में अंकित कर ऑनलाईन पार्ट-I में अपलोड कर दी गयी है। संशोधित प्रस्ताव के साथ उक्त लागत लाभ विश्लेषण की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक-2)

5	The tree enumeration has been done with 9m width therefore the revised enumeration for 7m is required to be submitting further the details of saplings (0-10) are appear to be missing in counting, the same must be include in the enumeration.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि 7 मीटर चौड़ाई में पेड़ों की गणना की गयी है एवं (0-10) व्यासवर्ग के वृक्षों को गणना सूची के साथ सम्मिलित कर संशोधित वृक्षों की गणना सूची प्रस्ताव में संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक-3)
6	The details of tree enumeration for muck dumping sites are requested to be submitted separately.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित मलवा निस्तारण स्थल पर वृक्षों का पातन नहीं किया जा रहा है।
7	The DSS analysis of the CA area shows that in patch number 2 the 9 ha area is MDF and not found suitable for planting trees @ 1000 trees per ha. Further in this patch the proposed road is also passing which may surely be reduce the availability of area for plantations. The State Govt. is requested to replace this area with some other area suitable for plantations and upload the revised Kml file, Maps, CA scheme ad suitability certificate accordingly.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 9 है० भूमि का संशोधित मानचित्र ऑनलाईन पार्ट-1 में अपलोड कर दिया गया है, जिसकी प्रति संशोधित प्रस्ताव के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक-4)

अतः प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर द्वारा प्रेषित सूचना के क्रम में प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत अथोचित कार्यवाही किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,



(आर०के० मिश्र)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,  
वन संरक्षण, देहरादून



संख्या-1476 / 12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर।
3. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, बागेश्वर।



(आर०के० मिश्र)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,  
वन संरक्षण, देहरादून

